शा. वि. बनसू
प्रकरण क्रमांक 35 / 2024

Witness No.....**03**.....for....अभियोजन साक्षी.....deposition taken this .....**20**...day of. **फरवरी** ...**2025**..... Witness's apparent age.....**16**.....years

States on affirmative-.....**...शपथ..**/ My name is ….....**रविन्द्र**.....

S/w/of.....**बनस**.....Occupation .....**खेती**.....

Address**..**.....**ग्राम लमनी थाना लोरमी जिला मुंगेली छ0ग0**.....

टीपः– अभियुक्त की उपस्थिति विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से लिया गया।

1. मैं ग्राम लमनी में रहता हूं तथा खेती बाडी का काम करता हूं। अभियुक्त बनसू मेरा पिता है। मेकीनबाई मेरी मां थी, जिसकी मृत्यु हो गयी है।
2. मेरी मां की पेट में बीमारी थी जिसके कारण उसकी मृत्यु आज से दो तीन माह पहले गौरेला अस्पताल में हो गयी है। घटना सुबह हुई थी। मैं घटना के समय खेत का धान देखने गया था, जहां से मैं चार बजे आया था। उस समय मेरी मां बतायी थी कि मेरे पेट में दर्द है। मेरे जीजा प्रमोद मेरी दीदी के साथ हमारे ही घर में ही रहते थे। फिर मैंने अपने जीजा प्रमोद के साथ मेरी मां को अपने जीजा के मोटर सायकिल में बीच में बैठाकर गौरेला अस्पताल ले गये थे।
3. मेरी मां का ईलाज एक दिन हुआ था। दूसरे दिन सुबह 7–8 बजे उसकी मृत्यु हो गयी थी। उसके बाद मेरी मां की मृत्यु की सूचना अस्पताल वाले ही थाने में दिये थे, तब पुलिस आयी थी और शव का पंचायतनामा की कार्यवाही कर पी.एम. करवाये थे। शव का नक्शा पंचायतनामा के लिए मुझे नोटिस में दस्तखत करवाये थे, जो `प्र0पी01 है, जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है और पंचनामा प्र0पी02 में भी ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।
4. शव के पंचनामा के समय मेरे जीजा प्रमोद के अलावा मेरी बहन आरती और मेरे चाचा राजू यादव भी आये थे। शव का पोस्टमार्टम के दौरान भी उसकी पहचान मेरे जीजा प्रमोद, मेरा चाचा राजू यादव और मेरे पिता बनस यादव तीनों मौजूद थे तथा मैं भी बाहर में मौजूद था। शव का सुपुर्दनामा मेरे पिता प्राप्त कर घर लाये थे।
5. पुलिस वाले ने घटना के संबंध में पूछताछ कर मेरा बयान लिया था। घ ाटना के लगभग 8–9 दिन बाद दशगात्र के पहले पुलिस ने मेरे पिता को पकडकर ले गये थे, क्यों पकडे थे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

<u>टीपः– इसी स्तर पर साक्षी को लोक अभियोजक ने पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही। अभिलेख के अवलोकन उपरांत अनुमति दी गयी।</u>

<u>सूचक प्रश्न श्री रजनीकांत सिंह, लोक अभियोजक</u>

6. यह सही है कि मैं जब खेत से आया, तब मेरी मां घर में अलग कमरा में सोयी थी और पेट दर्द कर रहा है, कहकर ब तायी थी। यह कहना गलत है कि मेरी मां ने मुझे यह बतायी थी कि खाना बनाने में विलम्ब हो गया था तब मेरे पिता ने मेरी मां को पेट में लात से मारा था, जिसके कारण दर्द हो रहा है। यह कहना सही है कि मेरी मां को ईलाज के लिए पहले उप स्वास्थ्य केन्द्र केंवची ले गये थे, उसके बाद उसे सामु.स्वा.के. गौरेला ले गये थे।

7. यह सही है कि मेरी मां की मृत्यु सुबह लगभग 8 बजे हुआ था, उस समय मेरे जीजा कुछ सामान के लिए घर आ गये थे साक्षी का कहना है कि पैसा नहीं था इसलिये पैसा लेने घर आये थे। यह सही है कि मैंने अपनी बहन को फोन करके बताया कि मां की मृत्यु हो गयी है। यह सही है कि मेरे फोन करने के बाद मेरे पिता बाद में आये थे।

8. यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस को प्र0पी07 का पुलिस बयान एवं प्र0पी08 का मर्ग बयान में यह बताया था कि खाना बनाने में विलम्ब होने से मेरे पिता के खाना मांगने पर नहीं देने के कारण गुस्से में मेरी मां के पेट में लात मेरे पिता ने लात मारा, जिससे मेरी मां के पेट में अंदरूनी चोंटे आयी थी और उसी कारण उसके पेट में दर्द होना बताया था।

9. यह कहना गलत है कि इस घटना के पूर्व मेरी मां के पेट में कभी दर्द नहीं हुआ था। यह कहना गलत है कि मैं अपने पिता को बचाने के लिए आज झूठा गवाही दे रहा हूं और सही बात नहीं बता रहा हूं।

<u>प्रति परीक्षण श्री टीकम चंद्राकर चीफ एल.ए.ड.सी.</u>

10. यह सही है कि मैं तथा मेरे माता पिता सभी प्रेम से घर में रहते थे। यह सही है कि मेरी मां का आपरेशन हुआ था, तब से उसके पेट में दर्द हुआ था। यह सही है कि ज्यादा दर्द होने पर मेरी मां डॉक्टर से दवा मांगती थी। यह सही है कि मेरी मां को अस्पताल ले गये थे, उस दिन मेरे पिता मेरे साथ खेत में गये थे। यह सही है कि घर में मेरे जीजा प्रमोद एवं बहन आरती थी।

11. यह सही है कि गौरेला से घर में फोन करने पर नेटवर्क नहीं होने तथा मोबाईल का चार्जिग समाप्त होने के कारण घर में फोन नहीं लग पाया था। यह सही है कि मेरे पिताजी जब अस्पताल पहुंचे, तब उनको मां की मृत्यु होने के बारे में जानकारी मिली थी।

12. यह सही है कि पुलिस ने मुझे बयान को पढकर नहीं बताया था तथा दस्तखत करने के लिए बोलने पर मैं केवल दस्तखत कर दिया था। यह सही है कि मेरी मां का ईलाज डॉक्टरों के द्वारा गलत तरीका से करने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी है। यह सही है कि डॉक्टरों को बचाने के लिए पुलिस ने मेरे पिता को झूठा फंसा दिये हैं।

13. यह सही है कि मैं अपने पिताजी के साथ खेत से घर आया, तब मेरे पिता जी खाना खाकर सो गये थे। यह सही है कि मैं अपने जीजा के साथ मां को ईलाज कराने ले गये थे तब मेरे जीजा मोटर सायकिल चला रहे थे तथा मेरी मां बीच में बैठी थी और मैं पीछे बैठा था। यह सही है कि मेरे पिता घर की रखवाली करने के लिए गांव में रूके थे।

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया
सही होना स्वीकार किया।

सही/–

(चन्द्र कुमार अजगल्ले)
सत्र न्यायाधीश,
मुंगेली छ0ग0

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही/–

(चन्द्र कुमार अजगल्ले)
सत्र न्यायाधीश,
मुंगेली छ0ग0